कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख सीहोर जिला सीहोर म.प्र.

क्रमॉक / 1682 / भू.अभि. / 2012 सीहोर, दिनॉक–26 / 07 / 2012

प्रति,

तहसीलदार

तहसील सीहोर / श्यामपुर / आष्टा / जावर / इछावर / नसरूल्लागंज / बुदनी / रेहटी

विषयः– मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनॉक 21 जून 2012 को सम्पन्न परख वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन भेजने बाबत्।

संदर्भः– कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त म.प्र. ग्वालियर का पत्र क्रमॉक 1399 / भू.प्र. / वा.द. / 2012, दिनॉक 24 / 07 / 2012।

----000----

विषयान्तर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके साथ म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमॉक एफ 9–14 / 2011 / सात–एक, दिनॉक 09.07.2012, एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनॉक 21 जून 2012 को सम्पन्न परख वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया है।

अतः संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर उक्त संलग्न कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर तीन दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समयसीमा पर विशेष ध्यान दिया जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, सीहोर

पृ. क्रमॉक / 1683 / भू.अभि. / 2012 सीहोर, दिनॉक–26 / 07 / 2012

प्रतिलिपिः–

1. सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र.भोपाल; सी.सी.बिल्डिंग, मा.शि.मं. परिसर भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त म.प्र. ग्वालियर की ओर संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग सीहोर / आष्टा / इछावर / नसरूल्लागंज / बुदनी, जिला सीहोर की ओर संलग्न प्रेषित कर लेख है, कि संलग्न पत्रों में दिए गए निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित कर कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन समयसीमा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर सीहोर

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश

क्रमांक 1399 /भू.प्र./वा.द./2012 ग्वालियर दिनांक 24.7.2012

प्रति,

कलेक्टर

जिला-समस्त

मध्य प्रदेश ।

विषय- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21 जून 2012 को सम्पन्न परख वीडियो कान्फ्रेंसिग का कार्यवाही विवरण ।

संदर्भ- मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 9-14/2011/सात-एक भोपाल दिनांक 9.7.2012.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है । जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21 जून 2012 को सम्पन्न परख वीडियो कान्फ्रेंसिग का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक एक-वासस्थान दखल कार अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है ।

कृपया ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर मध्य प्रदेश वासस्थान दखलकार अधिनियम 1980 के प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिनका आवास नगरेत्तर क्षेत्र की ऐसी कृषि भूमि पर या उसके समीपस्थ स्थित है । जो अपने आप में पूर्ण है तथा 31 दिसम्बर 2011 को उसके वास्तविक भौतिक कब्जे में हो और ऐसी भूमि उसके स्वामित्व की न हो ।

संलग्न- यथोपरि

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 1399 /भू.प्र./वा.द./2012 ग्वालियर दिनांक 24.7.2012

प्रतिलिपि-

सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रस्तुत ।

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

D:\Nazool Diversion\Anil Swarnkar\Basansthan 2012.doc

17 JUL 2012

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक.एफ 9–14/2011/सात–एक भोपाल,दिनांक 9-7-2012

प्रति,

1) प्रमुख राजस्व आयुक्त,
मध्यप्रदेश,
सी.सी.बिल्डिंग,
माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर,
भोपाल.

2) आयुक्त,
भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

विषयः– मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21 जून, 2012 को सम्पन्न "परख" वीडियो कांफ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण ।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे दिनांक 21 जून, 2012 को सम्पन्न "परख" वीडियो कांफ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया राजस्व विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें ।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार

(एस.के.रजक)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमाक.628/586/2012/सात–एक, भोपाल, दिनांक 9-7-2012

प्रतिलिपिः–

समस्त अवर सचिव, राजस्व विभाग की ओर उक्त कार्यवाही विवरण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजस्व विभाग		प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा [illegible] प्रकरणों की जनकारी दी गई । प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा राजस्व संबंधी मुददों पर निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये:– 1. वासस्थान दखलकार अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। 2. भू–राजस्व संशोधन के उपरांत राजस्व प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण किया जाये। 3. राजस्व रिर्कार्ड का सुदृढीकरण किया जाये। 4. पटवारी को बस्ता रहित कर ई–बस्ता व्यवस्था लागू की जाये। 5. भूमि नक्शों का डिजिटाईजेशन किया जाये। 6. तहसील स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये निवास स्थान के निर्माण कार्यो में गति लाई जाये। 7. तहसील स्तर पर राजस्व अभिलेखागारों को पूर्ण डिजिटाईजेशन करने की व्यवस्था की जाये। 8. पटवारी चयन परीक्षा 2008 से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण जिला कलेक्टर शीघ्र करें। 9. वन और राजस्व भूमि के सीमांकन संबंधी विवादों को दानो विभाग [illegible] [illegible] जिससे कि बीमा राशि के भुगतान में

विभाग	कार्यवाही विवरण का बिन्दु	मुख्य सचिव के निर्देश
		कोई बाधा न हो । 11. मजरों एवं टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाये। मुख्य सचिव, द्वारा निर्देश दिये कि कृषि केबिनेट की आगामी वीडियो कांफेन्सिंग में राजस्व विभाग के मुददो पर चर्चा होगी इस लिये आवश्यक तैयारी कि जाये।

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये कि विधान सभा के अपूर्ण उत्तर और आश्वासन से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभागों को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये कि यदि विधान सभा की समिति के समक्ष अपूर्ण उत्तर आदि विषय के लिए संबधित विभाग प्रमुख सचिव/सचिव की पेशी होती है तो सम्बंधित जिला कलेक्टरों को भी बुलाया जायेगा ।

बी. आर. विश्वकर्मा